फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री दिनेश कुमार **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 18/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27.11.2019	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम देवीलाल पिता कना गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2071–74, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण–पत्र, ग्राम पंचायत धोलीमगरी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार अंकित है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 7.6.20019 भी प्रस्तुत किया जिसमें दिनेश कुमार उर्फ देवीलाल को एक ही व्यक्ति होना बताकर गणेशपुरा का निवासी होना बताया हैं। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार होना जाहिर आया हैं। राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा गणेशपुरा पटवार हल्का धोलीमगरी की आराजी नम्बर 265/257 किता 1 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 101, 103, 112, 124, 125, 126, 128, 131, 132, 137, 143, 179, 180, 222 से 227 किता 19 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा भूमि में खातेदार देवीलाल पिता कना के बजाय दिनेश कुमार उर्फ देवीलाल पिता कना संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.09 17:29:35 IST
Reason: SelfAttested